Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 119-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 8, 2025 (ASADHA 17, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 8 जुलाई, 2025

संख्या 7/11/2014–3ए०आर०.– हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 21 की उप–धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम–9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''9. आयोग जहां अनुबद्ध अवधि के भीतर पदाभिहित अधिकारी/शिकायत निवारण प्राधिकारियों द्वारा आवेदन/अपील निर्णीत नहीं करते हैं और ऐसे आवेदनों/अपीलों के निपटान में अनुचित देरी होती है, वहां ऐसे मामलों में स्व–प्रेरणा से नोटिस ले सकता है। कोई चूक पाने पर, आयोग, इस सम्बन्ध में जैसा ''वह ठीक समझे'', उचित आदेश पारित कर सकता है।

परन्तु यदि कोई मामला, जिसमें सम्बन्धित विभाग के पदाभिहित अधिकारी/प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी/द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के मध्य कोई वाद किसी भी विधि न्यायालय में अथवा सम्बन्धित विभाग के पुर्ननिरीक्षण प्राधिकरण के पास अधिसूचित सेवा का लाभ उठाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व लम्बित है, तो आयोग, ऐसे विभाग के पदाभिहित अधिकारी/प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी/द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के विरूद्ध मामले में विधि न्यायालय या सम्बन्धित विभाग के पुर्ननिरीक्षण प्राधिकरण के अन्तिम निर्णय आने तक अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।''।

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 8th July, 2025

No. 7/11/2014-3AR.– In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 21 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Right to Service Rules, 2014, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Right to Service (Amendment) Rules, 2025.

2. In the Haryana Right to Service Rules, 2014, for Rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

"9. The Commission may take suo-moto notice in such cases where the applications/appeals are not decided by the Designated Officers/Grievance Redressal Authorities within the stipulated period and there is unreasonable delay in disposal of such application/appeals. On finding any lapse, the Commission may pass appropriate orders in this regard as it may deem fit:

Provided that, if any case, in which litigation is pending in any Court of Law or with the Revisional Authority of the concerned department, before submission of application for availing notified service between the Designated Officer/First Grievance Redressal Authority/Second Grievance Redressal Authority of the concerned department, the powers given under section 17 of the Act shall not be exercised by the Commission against the Designated Officers/First Grievance Redressal Authority/Second Grievance Redressal Authority of such department till the final outcome of the matter in Court of Law or by the Revisional Authority of the concerned department."

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

11963—C.S.—H.G.P., Pkl.